राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–गोगरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 02 / 2016
दायरा तिथि 08.01.2016
निर्णय तिथि 16.05.2016

वादीगण–	वनामः	प्रतिवादी–
1–भूराराम पुत्र वागाराम 2–हीराराम पुत्र वागाराम 2–हीराराम पुत्र वागाराम तमाम जाति भील निवासी गोगरा तहसील सुमेरपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(भूमिधारी) सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92A, 188 R.T.Act,1955
एवं सपठित धारा 136 R.L.R.Act,1956

–: नि र्ण य :–

दिनांक 16.05.2016

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली बरोज आज राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र गोगरा में पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। कथित प्रकरण में पटवारी गोगरा, भू–अभिलेख निरीक्षक तखतगढ व तहसीलदार सुमेरपुर ने वादग्रस्त भूमि के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। प्रकरण के अन्तर्गत वर्णित वाद–विषयक की स्थिति अनुसार वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध सरहद मौजा गोगरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 195 रकबा 1.44 (0.80) हेक्टर किस्म गै.मु.पायतन के बारे में 50 साल पुराने कब्जे काश्त के आधार पर अर्थात प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त के आधार पर खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है। पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त कृषि भमि पर वादीगण बतौर अतिचारी के काबिज रहा था व इनके विरूद्ध धारा 91 R.L.R.Act,1956 के तहत कार्यवाही कर वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया था, वादीगण का वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमि गत् व हाल सेटलमेंट रेकर्ड में गै.मु.पायतन दर्ज रही है और यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में होने से वादीगण किसी भी परिस्थिति में खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण का उक्त वादपत्र खारिज फरमावे।

(2) कि हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप यह सुस्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म गत् व हाल सेटलमेंट के राजस्व रेकर्ड में गै.मु.पायतन दर्ज रही है जो यह भूमि कतिपय प्रावधान R.T.Act,1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का 50 सालों से पुराना कब्जा काश्त होना साबित नहीं होता है अर्थात वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अपीलीय न्यायालयों द्वारा अनेक मामलों में व्यवस्थाऐं व प्रतिपादित सिद्धान्त लागू किए है कि कतिपय प्रावधान R.T.Act,1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की किसी भी भूमि के बारे में कोई व्यक्ति–विशेष को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है, जैसा कि प्रश्नगत् मामले में भी वादग्रस्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जिसके फलतः हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण का कथित वादपत्र प्रथमतः पोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज करना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार–2

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के वादग्रस्त भूमि जो सरहद मौजा गोगरा तहसील सुमेरपुर में स्थित हाल खसरा नं. 195 रकबा 1.44 (0.80) हेक्टर किस्म गै.मु.पायतन के बारे में खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती बाबत प्रथमतः पोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय बरोज आज दिनांक 16.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र गोगरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)
केम्प गोगरा

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली

Scanned by CamScanner